डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] रायपुर, सोमवार , दिनांक 6 अगस्त 2001—श्रावण 15, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ/1632/10-12/2001/वा.क./पांच (39).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-विक-पांच (78) दिनांक 29-9-97 में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में :—
प्रविष्टि 3 के कालम (3), (4) तथा (5) में निम्न प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

"(एक)	बाक्साईट छत्तीसगढ़ राज्य के किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराने पर.	7-7-2001	10 प्रतिशत
(दो)	बाक्साईट छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रवेश कराने पर.	7-7-2001	50 प्रतिशत"

Raipur, the 6th August 2001

NOTIFICATION

No. F/1632/10-12/2001/CT/V (39).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendment in this departmental notification No. A-5-14-97-ST-V (78) dated 29-9-97, namely :—

AMENDMENT

In the schedule to the said notification :—

In entry 3 in column (3), (4) & (5) following entries shall be substituted :—

"(I)	Bauxite when entered from any local area within the State of Chhattisgarh.	7-7-2001	10%
(II)	Bauxite when entered from any place outside the state of Chhattisgarh.	7-7-2001	50%"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.